दिनांक 15.07.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लालगंज" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी

।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.07.2016 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लालगंज" का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

1. निरीक्षण के दौरान उक्त केन्द्र की उपस्थिति पंजिका के अवलोकनोपरांत पाया गया कि श्री विशाल सरोज TG-II और श्री दिलीप सरोज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले दिनों से अनुपस्थित हैं। उक्त दोनों कर्मचारियों के दिनांक 15.07.2016 के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (द्वितीय), प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया कि उक्त कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

2. निरीक्षण के दौरान उक्त केन्द्र पर तैनात उप खण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता की उपस्थिति से सम्बन्धित रजिस्टर के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर श्री नर्वदा प्रसाद मिश्र TG-II द्वारा अवगत कराया गया कि उप खण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता की उपस्थिति से सम्बन्धित रजिस्टर जिला मुख्यालय स्थित अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में रहता है। उल्लेखनीय है कि निरीक्षण के समय श्री प्रदीप तिवारी अवर अभियन्ता उपस्थित रहे और श्री प्रमोद सरोज उपखण्ड अधिकारी के बारे में पूँछतांछ करने पर मौके पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। श्री प्रमोद सरोज उप खण्ड अधिकारी के दिनांक 16.07.2016 के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त उप खण्ड अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें तथा उपस्थिति रजिस्टर किन परिस्थितियों में जनपद मुख्यालय कार्यालय में है, के

———2

सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ट आख्या एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

3. निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप तिवारी अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि इस उपकेन्द्र से 33 के0वी0 के कुल 07 फीडर कमशः सॉगीपुर, लालगंज, रायपुर तियाई, लालगंज तहसील, धारूपुर, रानीगंज अजगरा, सलवन रायबरेली फीडर सम्बद्ध हैं, जिनसे उक्त केन्द्र द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाती है।

4. निरीक्षण के दौरान अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पनकी कंट्रोल से विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निश्चित किया जाता है। उक्त रोस्टर से सम्बन्धित विवरण के बारे में पूँछतांछ करने पर अवर अभियन्ता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका और न ही अद्यावधिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के लिए उत्तरदायी अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें तथा स्वयं के पर्यवेक्षण में सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यावधिक करायें।

5. निरीक्षण के दौरान **Daily log sheet** रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनकमिंग एवं आउट गोइंग वोल्टेज सम्बन्धित फीडरों के करेन्ट आदि का विवरण समुचित ढंग से अंकित नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के लिए उत्तरदायी अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें तथा स्वयं के पर्यवेक्षण में सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यावधिक करायें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या :1657/शिविर–2016 दिनांक : जुलाई 16, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) विद्युत मण्डल द्वितीय, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
6. अधिशाषी अभियन्ता (पारेषण), विद्युत, प्रतापगढ़।
7. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), प्रतापगढ़।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
9. अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।